

कार्यालय अंचल अधिकारी, गोमिया (बोकारो)

अभिलेख सं० :- 18 / 17-18
केश का प्रकार :- विविध वाद
अंचल का नाम :- गोमिया जिला - बोकारो

आदेश का क्रम संख्या
और तारीख 1

आदेश फलक
2

आदेश पर
कारवाई के
दिखायी तारीख 3

03-02-17

आवेदक- बेजल कुमार माँझी, पिता-कमल सोरेन, ग्राम-खम्हरा (शहर टोला), पो०-आई०ई०, गोमिया, थाना-आई०ई०एल०, गोमिया, जिला-बोकारो द्वारा आवेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा वर्णित किया गया है कि मौजा-खम्हरा, थाना सं०-104, खाता सं०-06, प्लॉट सं०-244, जिसका खतियान मेरे परदादा स्व० बाबुका माँझी उर्फ बबुआ माँझी के नाम से दर्ज है। जिसमें मैं भालगुजारी रसीद कटवाते आ रहा हूँ। उपरोक्त भूमि पर (1) लखन लाल चौहान, पिता-स्व० गुलाब शंकर बेलदार, रकवा-0.46ए०, (2) विजय यादव, पिता-स्व० शिवमंगल यादव एवं स्पेश कुमार यादव, पिता-स्व० कमलदेव यादव, रकवा-0.06ए०, (3) पार्वती देवी, पति-लालमुनि सिंह, रकवा-0.04ए० भूमि सभी लोग ग्राम-खम्हरा, टोला-कसवागढ़, पो०-आई०ई०, गोमिया, जिला-बोकारो के निवासी द्वारा उक्त भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। जो उपरोक्त भूमि CNT Act-1908 की धारा 46(A) के तहत संरक्षित है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का जाँच करते हुए खतियानी भूमि को कानूनी प्रक्रिया करते हुए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र जाँच हेतु राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक को दें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक-18/02/2017 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
गोमिया।

18-02-17

28-02-17

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोमिया अंचल अन्तर्गत मौजा-खम्हरा, थाना सं०-104 खाता सं०-06, प्लॉट सं०-248 एवं अन्य, कुल रकवा-7.82ए० भूमि, रैयती खाते की है। उक्त भूमि खतियानी एवं आदिवासी खाते की है। सर्वे खतियान बाबुका माँझी के नाम से दर्ज है।

पंजी-II के अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पंजी-II के पृष्ठ सं०-07, भौलुम सं०-1 पर महादेव माँझी के नाम से जमाबन्दी दर्ज है। सरकारी राजस्व लगान रसीद वित्तीय विभाग द्वारा निर्गत है। आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि CNT Act-1908 की धारा 46(A) के तहत संरक्षित रहने के कारण भी गैर आदिवासियों द्वारा (1) लखन लाल चौहान,

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्षों द्वारा कार्यालय में अपना पक्ष रखने हेतु भूमि से संबंधित सभी राजस्व कागजात के साथ उपस्थित हुए। पार्वती देवी अनुपस्थित। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उक्त वाद की सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा निम्न बातें बताई गई।

1. लखन लाल चौहान की ओर से प्रमिला देवी द्वारा वासगीत पर्चा के आधार पर दावा कर रही है। खाता सं०-06, प्लॉट सं०-244, रकबा-0.07ए० पर दावा करती है।
2. विजय यादव की ओर से संगीता देवी द्वारा सादा हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया, जो विवादित भूमि से अलग है। खाता सं०-46, प्लॉट सं०-251, रकबा-0.21ए० भूमि।
3. शांति देवी (रूपेश कुमार यादव की माँ) पति-स्व० कमलदेव यादव का कहना है कि पूर्व में स्व० रूपलाल माँझी को 60000/- (साठ हजार) रुपया देने के पश्चात मुझे एकरारनामा द्वारा उक्त भूमि प्राप्त है।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने एवं राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा पुनः प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त विवादित भूमि आदिवासी खाते से संबंधित है, जो गैर आदिवासी के द्वारा दखल किया गया है। उक्त मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71A से संबंधित है।

अतः प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में भू-वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विवेचन के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(लेखापित)

31.12.17
अंचल अधिकारी,
गोमिया।